

कार्यालय :- अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर

पत्रांक :- 521 /अ0न0आ0/रेन्ट/न0नि0गो0/2025-26

दिनांक : 23/3/2026

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

गोरखपुर में एयरपोर्ट के उत्तर तरफ चारुचन्द्र दास ट्रस्ट टी.बी. अस्पताल के आगे नगर निगम की खाली भूमि पर वाहनों की अस्थायी पार्किंग किये जाने हेतु निविदा इत्यादि की कार्यवाही कर पार्किंग संचालनकर्ता का चयन किया जाना है। उक्त सन्दर्भित स्थलों पर वाहनों की पार्किंग अवधि निविदा स्वीकृति के तिथि से 11 माह तक के लिए वैध है। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में कार्य समाप्ति की तिथि से 11 माह की और अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त के सम्बन्ध में निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाईट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in/> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं0 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या-10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं :-

स्थल का नाम	न्यूनतम धनराशि (रु0 में)	धरोहर धनराशि (रु0 में)	निविदा मूल्य जी.एस. टी. सहित (रु0 में)
एयरपोर्ट के उत्तर तरफ चारुचन्द्र दास ट्रस्ट टी.बी. अस्पताल के आगे नगर निगम की खाली भूमि पर पार्किंग का संचालन का कार्य।	5,00,000.00	8,00,000.00	5900.00

निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय

क्र0सं0	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	24-3-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	30-3-2026 @ 04:00 P.M.
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	30-3-2026 @ 05:00 P.M.

कार्यों का विवरण, नियम व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाईट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in> गोरखपुर पर व ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं के लिये उक्त वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।


अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

निविदा प्रपत्र

गोरखपुर में एयरपोर्ट के उत्तर तरफ चारुचन्द्र दास ट्रस्ट टी.बी. अस्पताल के आगे नगर निगम की खाली भूमि पर वाहनों की अस्थायी पार्किंग किये जाने हेतु निविदा इत्यादि की कार्यवाही कर पार्किंग संचालनकर्ता का चयन किया जाना है। उक्त सन्दर्भित स्थलों पर वाहनों की पार्किंग अवधि निविदा स्वीकृति के तिथि से 11 माह तक के लिए वैध है। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में कार्य समाप्ति की तिथि से 11 माह की और अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त के सम्बन्ध में निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें ई-प्रक्योरमेन्ट की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> व नगर निगम की वेबसाईट <https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in/> पर देखी जा सकती है। शासनादेश सं० 4848/नौ-5-2018-470सा/2018 नगर विकास अनुभाग-5 उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के क्रम में निविदा शुल्क + जी०एस०टी० एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक ऑन लाईन/NEFT/RTGS के माध्यम से नगर निगम कोष में नगर निगम, गोरखपुर के खाता संख्या-10174963707 (IFSC Code: IDFB0021561) IDFC First Bank, शाखा-पार्क रोड, गोरखपुर में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी स्कैन कापी ई-टेंडर अपलोड करते समय अपलोड करनी होगी। ई-निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

स्थल का नाम	न्यूनतम धनराशि (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा मूल्य जी.एस.टी. सहित (रु० में)
एयरपोर्ट के उत्तर तरफ चारुचन्द्र दास ट्रस्ट टी.बी. अस्पताल के आगे नगर निगम की खाली भूमि पर पार्किंग का संचालन का कार्य।	51,00,000.00	8,00,000.00	5900.00

निविदा बिक्री एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र०सं०	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई-निविदा डाउनलोड/प्रारम्भ की तिथि	24-03-2026
2	ई-निविदा अपलोड की अन्तिम तिथि/समय	30-03-2026 @ 04:00pm
3	ई-निविदा खोले जाने की तिथि/समय	30-03-2026 @ 05:00pm

अस्थायी पार्किंग से पार्किंग शुल्क वसूली के लाइसेन्स हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें:-

1. (क) टेक्निकल बिड दिनांक (As shown on website) को ई-निविदा वेबसाईट के माध्यम से खोली जायेगी। निविदा खुलने की तिथि पर आकस्मिक अवकाश पड़ जाने या इण्टरनेट, तकनीकी कारणों से बाधित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- (ख) ऑनलाइन निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तथा उक्त वेबसाईड पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- (ग) निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रपत्र आनलाइन निविदा भरते समय पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है :-
 1. निविदा मूल्य सम्बन्धी यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप।
 2. बिड सिक्योरिटी अनुमन्य धनराशि का यूटीआर संख्या, पे-इन-स्लिप।
 3. बिड के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में टी-6, रु० 100.00 के नोटरी शपथ पत्र।
 4. प्रत्येक बिड के साथ नवीनतम PWD-T-4 (चरित्र प्रमाण पत्र)।
 5. हैसियत प्रमाण पत्र रु० 30.00 लाख से अधिक PWD-T-5
 6. पैन कार्ड एवं जी०एस०टी० प्रमाण पत्र
 7. अद्यतन ITR
 8. कम से कम 01 वर्ष का पार्किंग का अनुभव प्रमाण पत्र जो किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी किया गया हो।

2. उपरोक्त क्रमांक 01 (ग) में उल्लिखित सभी प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन निविदा डालते (सबमिट करते) समय ही उक्त पोर्टल पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। उल्लिखित प्रपत्र का आनलाइन अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा नॉन-रिसपान्सिव घोषित कर दी जायेगी।
3. निविदा की तकनीकी/वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त यदि समिति द्वारा मूल प्रपत्र मांगे जाते हैं तो निविदादाता द्वारा सभी आवश्यक प्रपत्र की मूल प्रति लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर बिड्स आई0डी0 नम्बर एवं टेन्डर आई0डी0 नम्बर (जो ई-टेन्डरिंग की वेबसाइट पर आनलाइन बिड्स देते समय प्रदर्शित होगा) अंकित करते हुए कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। मूल रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
4. निविदा प्रपत्र के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी के लिए सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
5. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑन-लाइन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। निविदा की प्रक्रिया ऑन-लाइन शुरू होने के पश्चात् समस्त अग्रेतर कार्यवाही केवल ऑन-लाइन ही होगी, प्रत्येक निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् ऑन-लाइन निविदा के सम्बन्ध में होने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धि-पत्र की जानकारी प्राप्त करता रहे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. निविदा फार्म के साथ चरित्र प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा वैधता अवधि के भीतर हो संलग्न अनिवार्य होगा।
7. निविदा की स्वीकृति तिथि से पार्किंग शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि (मय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त) निविदा स्वीकृत होने सम्बन्धी पत्र निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के भीतर निविदादाता को नगर निगम, गोरखपुर के रेन्ट विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत निविदा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने की स्थिति में जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. स्वीकृत निविदा की धनराशि पर उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर सम्पूर्ण धनराशि जमा होने के तीन कार्य दिवस के अंदर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा। स्टैम्प पेपर की देयता यदि घटती बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

9. उपरोक्त स्थानों पर निविदा हेतु पार्किंग की दरें निम्नवत् हैं :-

10 लाख और उससे कम जनसंख्या वाले	02 घण्टे के लिये (रु० में)		क्रमवार 01 घण्टे के लिये (रु० में)		24 घण्टे के लिये (रु० में)		मासिक पास (रु० में)	
	02 पहिया	04 पहिया	02 पहिया	04 पहिया	02 पहिया	04 पहिया	02 पहिया	04 पहिया
	10	20	05	10	40	80	600	1200
बस हेतु								
रु० 200.00 (सुबह 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक)								

10. उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-09, संख्या 790/नौ दिनांक 06 मई, 2025 की कार्य सूचना के क्रम में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर क्षेत्र में पार्किंग शुल्क उल्लिखित दर से वसूली करना होगा तथा प्रत्येक वाहन के लिए रसीद दिया जाना आवश्यक होगा।
11. रसीदों की सत्यापन प्रत्येक माह जिला प्रशासन/नगर निगम द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
12. व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से नो-पार्किंग जोन में खड़ा किये गये वाहनों को नगर निगम द्वारा पकड़ने के उपरान्त उन वाहनों को उपरोक्त पार्किंग में रखने हेतु निःशुल्क जगह उपलब्ध कराये जाने का अधिकार सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा।
13. निर्धारित स्थलों पर उनके सामने उल्लिखित वाहनों के अलावा अन्य वाहनों का विश्राम निषिद्ध होगा।

14. रात्रि में 10.00 बजे के उपरान्त प्रातः 6.00 बजे तक यदि कोई व्यक्ति द्वारा वाहन खड़ा किया जाता है तो उससे निर्धारित धनराशि का दोगुना पार्किंग शुल्क लिया जायेगा।
15. पार्किंग स्थल पर सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त 45 दिनों के अन्दर पेयजल आपूर्ति, लाईट व्यवस्था, बैठने हेतु शेड एवं कुर्सीयों की व्यवस्था, शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
16. पार्किंग स्थल पर स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
17. ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली किये जाने के कारण यदि ठेका निरस्त होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
18. पार्किंग स्थल पर रेट सूची बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
19. पार्किंग स्थल पर आवश्यकतानुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाया जाना तथा उसका बैकअप रखा जाना अनिवार्य होगा।
20. पार्किंग स्थल व वाहनों की सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का होगा।
21. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
22. बेवसाइट/सिस्टम फेल होने अथवा किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
23. जिला प्रशासन/नगर निगम द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना फर्म/ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा।
24. निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर में निहित होगा। बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त किया जा सकता है।


अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर